

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक— 315/217/आउशि/शा.1/2024

दिनांक— 9.5.2024

प्रति,

- 1— कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय म.प्र. 2— कुलसचिव
समस्त निजी विश्वविद्यालय म.प्र.
- 3— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा म.प्र. 4— प्राचार्य
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
म.प्र.

विषय— प्रवेश नियम/ मार्गदर्शी सिद्धांत में किये गये संशोधन के संबंध में ।

संदर्भ— मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 249/42 / सीसवी/24/38
दिनांक 08.04.2024

विषयांतर्गत एवं संदर्भित आदेश के साथ संलग्न प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

मार्गदर्शिका का स.क्र.	पृष्ठ क्र.	मार्गदर्शिका के बिंदु	कॉलम 3 में अंकित बिंदु को कॉलम 4 के अनुसार पढ़ा जावे ।
1	2	3	4
बिंदु क्र. 5.1 के स. क्र. 2 में	13	d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो : 07 अंक	d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो / राज्य स्तर पर भागीदारी की हो : 07 अंक
		e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो : 05 अंक	e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो: 05 अंक
		g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो : 03 अंक	g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो : 03 अंक
5.2 के स. क्र. 2 में	18	d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो : 07 अंक	d. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो / राज्य स्तर पर भागीदारी की हो : 07 अंक
		e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो : 05 अंक	e. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो: 05 अंक
		g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भागीदारी की हो : 03 अंक	g. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो : 03 अंक

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.